न्यायालय उपखण्ड अधिकारीं, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
250 / 2023	05 / 07 / 2023	07.02.2025

उनवान

1– हलीमन पत्नी श्री हन्नी खां
2– सलीमन पत्नी श्री खुर्शीद जाति मेव निवासीगण ग्राम बाघौर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) :–– वादीगण

बनाम

1– ईसब पुत्र श्री ईस्माईल
2– ऐमनजान
3– हबीब पुत्रान स्व0 श्री बिलन्दा
4– अकबरी
5– जैबुना
6– मैमुना पुत्रीयान स्व0 श्री बिलन्दा जाति मेव निवासीगण ग्राम बाघौर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
7– राज्य सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार साहब, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) :––प्रतिवादीगण

दावाइश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाईदवामी
अन्तर्गतधारा 88,89,188 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया हैं कि हाल आराजी खसरा नंबर 1210 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, 1212 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 1215 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 1216 रकबा 0.1800 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.7000 हैक्टेयर का 1/3 भाग वाके ग्राम बाघौर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी का 1/3 भाग जो कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 के नामित दर्ज रिकार्ड है, इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा बयनामा दिनांक 14.10.2008, बिलन्दा का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक नोडयूज प्रमाण पत्र हाल जमाबन्दी सलंग्न वाद पत्र है। उक्त वर्णित विवादित आराजी जो कि प्रतिवादी सं. 1 ईसब व उसके भाई बिलन्दाकी कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी रही है। प्रतिवादी सं. 1 ईसब व उसके भाई बिलन्दा ने उपरोक्त विवादित आराजी का बेचान अपनी पूर्ण सहमति व स्वीकृति से जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 14.10.2008 को हम वादीगण से समस्त प्रतिफल राशि प्राप्त कर, वाकब्जा बेचान का विकय पत्र उपपंजीयक महोदय

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

(2)

तिजारा के यहां पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 321 में पृष्ठ संख्या 35 क्रम संख्या 2008002435 पर पंजीबद्व करा दिया। वक्त खरीद से ही हम वादीगण उक्त विवादित आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते आ रहे है तथा मौके पर आज भी हम वादीगण का वास्तविक कब्जा है। हम वादीगण उक्त विवादित आराजी सदभावी केता है। हम वादीगण ने उक्त बयनामा की प्रति हल्का पटवारी को वास्ते इन्तकाल दर्ज व मन्जूर कराने के लिए दे दी और हल्का पटवारी ने इन्तकाल दर्ज व मन्जूर करने का पूर्ण आश्वासन दिया। हम वादीगण, हल्का पटवारी के आश्वासन पर रहे है। हल्का पटवारी ने आराजी पर लोन होने की वजह से हम वादीगण के नाम का इन्तकाल दर्ज व मन्जूर नहीं किया। उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं. 1 ईसब व उसके भाई बिलन्दा का अमल बदस्तूर रहा है। इसी दौरान दिनांक 10.10.2018 को बिलन्दा का देहान्त हो गया। जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 6 है, जिनको वादीगण के द्वारा उक्त खरीदशदा भूमि की पूरी पूरी जानकारी रही है व विवादित आराजी में बिलन्दा के नाम की अमल की आड में तथा प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 6 ने उनके पिता मृतक बिलन्दा के द्वारा बेचान के तथ्यो को छुपाते हुये धोखाधडी व बेईमानीपूर्वक आशय से अपने आपको लाभ पहुचाने व हम वादीगण को साम्पत्तिक नुकसानं पहूचाने की नियत से राजस्व कर्मचारियों से साज बाज होकर बैंक की ऋण राशि चुकाये बिना विरासत इन्तकाल दर्ज कराकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अमल करा दिया। जबकि हम वादीगण ने विवादित आराजी प्रतिवादी सं. 1 व बिलन्दा से जरिये रजि0 बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर खरीद की है तथा मौके पर हम वादीगण का विवादित आराजी पर मौके पर वास्तविक कब्जा है। प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 6 के द्वारा दर्ज इन्तकाल व इन्तकाल की प्रक्रिया हम वादीगण के हकूको के खिलाफ आरम्भ से ही बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है, प्रभाव शून्य है। बाद बेचान प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 के नाम चला आ रहा अमल हम वादीगण के हितो के विरूद्व आरम्भ से ही बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है, प्रभाव शून्य है।जिसे हम वादीगण इस कदर बातिल वो बेअसर करार दिलाकर बयनामा दिनांक 14.10.2008 के आधार पर विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है व विवादित आराजी में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 के अमल को हजफ कराकर हम वादीगण इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। हम वादीगण जो कि ग्रामीण परिवेश की भोली भाली महिला है, जिसे कानून कायदे की कतई जानकारी नहीं है। हम वादीगण को प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 के नाम अमल की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है। हम वादीगण को अपनी पारिवारिक जरूरत के लिए आराजी को बेचान करने की जरूरत हुई तो हम वादीगण ने विवादित आराजी की ई.मित्र से जमाबन्दी प्राप्त की तो विवादित आराजी में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 के नाम का अमल होना पाया। जिस पर हल्का पटवारी के पास गये तो उन्होनें बताया कि जब तुम लोगों ने जमीन खरीदी थी, उस समय आराजी बैंक में रहन थी, जिस वजह से तुम्हारे नाम जमीन का अमल नहीं सका और बिलन्दा के देहान्त उपरान्त उनके वारिसान ने साजिशी तौर पर सारी जानकारी होते हुये राजस्व कर्मचारियों को गुमराह कर अमल अपने नाम करा लिया है लेकिन आराजी आज भी बैंक में रहन है। जिस पर हम वादीगण ने कानूनी राय मशवरा कर दिनांक 18.06.2023 को प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 से सम्पर्क कर विवादित आराजी की बैंक लोन राशि चुकता कर बयनामा के अनुसार अमल दुरूस्त कराने का निवेदन किया। जिस पर प्रतिवादीगण सं. 1

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (सैरथल-तिजारा)

लगायत 6 ने हम वादीगण से कहां कि हमारे पास बैंक की लोन राशि चुकता करने की रकम नहीं है, तुम बैंक की लोन राशि हमारी तरफ से जमा करा दो तो हम विवादित आराजी को तुम्हारे नाम दुरूस्त करा देगें। जिस पर हम वादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 की बैंक लोन राशि पजाब नेशनल बैंक शाखा तिजारा में जमा कराकर दिनांक 20.06.2023 को नोडयूज प्रमाण पत्र प्राप्त कियां। इसके बाद दिनांक 23.06.2023 को हम वादीगण, प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 से सम्पर्क कर उनसे कहां कि हमने बैंक लोन राशि बैंक में जमा करा दी है और नोडयूज प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। अब तुम इस विवादित आराजी को हमारे नाम दुरूस्त करा दो। जिस पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 तेस में आ गये और ऐलानिया तौंर से कहां कि हमने तो तुम्हे बेवकुफ बनाकर बैंक की रकम जमा कराकर आराजी को पाक साफ करा लिया। रिकार्ड में विवादित आराजी हमारे नाम है और अमल की आड में विवादित आराजी को किसी दीगर जगह रहन बैय हिबा आदि से मुन्तकिल कर वादीगण को आराजी से जबरन बेदखल करेगें तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 ने विवादित आराजी में जबरन घुसकर मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न कर नींव खोदकर निर्माण कार्य करने का असफल प्रयास किया। यदि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 अपने नापाक व दूषित इरादो में कामयाब हो गये तो हम वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी और दीगर मुकदमेंबाजी में फंसना पडेगा और हम वादीगण को जरिये रजि. बयनामा अपनी खरीदशुदा आराजी से महरूम होना पडेगा। जिसकी पूर्ति रूपयों में आंकी जाना सम्भव नहीं होगी। इसलिए हम वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये हु0 ई0 दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। इसलिए हम वादीगण को अपने हकूको की रक्षार्थ दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है। विवादित आराजी हम वादीगण ने जरिये रजि.बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर खरीद की है। वक्त खरीद से ही हम वादीगण विवादित आराजी पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है तथा मौके पर हम वादीगण का विवादित आराजी पर वास्तविक कब्जा है। हम वादीगण के विवादित आराजी में कानूनन हक व अधिकार रक्षित है। इसलिए हम वादीगण को यह वाद पेश करना लाजिम आया है। वाद पत्र के लिए बिनायेदावी बिनाये मुखासत इन्कारी व धमकी दिनांक 23.06.2023 को पैदा हुई है। इसलिए दावा हाजा साधारतण अन्दर अवधि पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में अन्य सहखातेदारान अपने अपने भाग पर शान्तिपूर्वक काबिज व दाखिल है। जिनके खिलाफ हम वादीगण ने दावा पेश नहीं किया है। इसलिए सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है और ना ही सहखातेदारान के खिलाफ कोई रिलीफ चाहा गया है क्योंकि हम वादीगण ने प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 के नामित हाल आराजी खसरा नं. 1210 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, 1212 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 1215 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 1216 रकबा 0.1800 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.7000 हैक्टेयर का 1/3 भाग वाके ग्राम बाघौर तहसील तिजारा जिला अलवर को ही विवादित बनाकर दावा हाजा पेश किया है। दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती का है। इसलिए राज्य सरकार को प्रतिवादी सं. 7 की जद में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है, जो आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बहक वादीगणविरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की पारित की जावें कि विवादित हाल आराजी खसरा नं. 1210 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, 1212 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 1215 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 1216 रकबा 0.1800 हैक्टेयर किता 4 कुल रकवा 0.7000 हैक्टेयर का 1/3 भाग वाके ग्राम बाघौर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

(4)

है।उक्त वर्णित विवादित आराजी जो कि प्रतिवादी सं. 1 ईसब व उसके भाई बिलन्दा की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी रही है। प्रतिवादी सं. 1 ईसब व उसके भाई बिलन्दा ने उपरोक्त विवादित आराजी का बेचान अपनी पूर्ण सहमति व स्वीकृति से जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 14.10.2008 को हम वादीगण से समस्त प्रतिफल राशि प्राप्त कर, बाकब्जा बेचान का विक्रय पत्र उपपंजीयक महोदय तिजारा के यहां पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 321 में पृष्ठ संख्या 35 क्रम संख्या 2008002435 पर पंजीबद्व करा दिया। वक्त खरीद से ही हम वादीगण उक्त विवादित आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करते आ रहे है तथा मौके पर आज भी हम वादीगण का वास्तविक कब्जा है। हमं वादीगण उक्त विवादित आराजी सदभावी क्रेता है। हम वादीगण ने उक्त बयनामा की प्रति हल्का पटवारी को वास्ते इन्तकाल दर्ज व मन्जूर कराने के लिए दे दी और हल्का पटवारी ने इन्तकाल दर्ज व मन्जूर करने का पूर्ण आश्वासन दिया। हम वादीगण, हल्का पटवारी के आश्वासन पर रहे है। हल्का पटवारी ने आराजी पर लोन होने की वजह से हम वादीगण के नाम का इन्तकाल दर्ज व मन्जूर नहीं किया। उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी सं. 1 ईसब व उसके भाई बिलन्दा का अमल बदस्तूर रहा है। इसी दौरान दिनांक 10.10.2018 को बिलन्दा का देहान्त हो गया। जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 6 है, जिनको वादीगण के द्वारा उक्त खरीदशदा भूमि की पूरी पूरी जानकारी रही है व विवादित आराजी में बिलन्दा के नाम की अमल की आड में तथा प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 6 ने उनके पिता मृतक बिलन्दा के द्वारा बेचान के तथ्यो को छुपाते हुये धोखाधडी व बेईमानीपूर्वक आशय से अपने आपको लाभ पहुचाने व हम वादीगण को साम्पत्तिक नुकसान पहुचाने की नियत से राजस्व कर्मचारियों से साज बाज होकर बैंक की ऋण राशि चुकाये बिना विरासत इन्तकाल दर्ज कराकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अमल करा दिया। जबकि हम वादीगण ने विवादित आराजी प्रतिवादी सं. 1 व बिलन्दा से जरिये रजि0 बयनामा बाकब्जा, बाप्रतिफल अदा कर खरीद की है तथा मौके पर हम वादीगण का विवादित आराजी पर मौके पर वास्तविक कब्जा है। प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 6 के द्वारा दर्ज इन्तकाल व इन्तकाल की प्रक्रिया हम वादीगण के हकूको के खिलाफ आरम्भ से ही बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है, प्रभाव शून्य है। बाद बेचान प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 के नाम चला आ रहा अमल हम वादीगण के हितो के विरूद्व आरम्भ से ही बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है, प्रभाव शून्य है। जिसे हम वादीगण इस कदर बातिल वो बेअसर करार दिलाकर बयनामा दिनांक 14.10.2008 के आधार पर विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है व विवादित आराजी में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 के अमल को हजफ कराकर हम वादीगण इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है। डिक्री हुक्मईम्तनाई दवामी प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत6 को इस अमर से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित हाल आराजी खसरा नं. 1210 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, 1212 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 1215 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 1216 रकबा 0.1800 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.7000 हैक्टेयर का 1/3 भाग वाके ग्राम बाघौर तहसील तिजारा जिला अलवरर में स्थित है, से प्रतिवादीगण, हम वादीगण को जबरन बेदखल ना करें, ना ही प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 6 विवादित आराजी को किसी दीगर आदमी को रहन बैय हिबा आदि से मुन्तकिल करें, ना ही वादीगण को आने जाने से रोके, ना ही काश्त कारोबार में कोई रूकावट पैदा करें, ना ही मजाहमत व

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

मदाखलत करें, ना ही कोई कच्चा पक्का निर्माण करें। मौका व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये रजिस्टर्ड समय तलब किया गया व जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 6 मय अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाल जवाब पेश किया। प्रकरण मे राजहित प्रभावित न होने पर प्रतिवादीगण संख्या 7 का जवाब अवसर समाप्त किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षकारान की सहमति पर वादपत्र को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव वादी अधिवक्ता बहस पर मनन किया। बहस मनन व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादी का वाद मुताबिक बैयनामा दिनांक 14.10.2008 अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः आदेश है कि –

हाल आराजी खसरा नंबर 1210 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, 1212 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 1215 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 1216 रकबा 0.1800 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.7000 हैक्टेयर का 1/3 भाग वाके ग्राम बाघौर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को 1/3भाग पर समभाग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

07/04/2025

(संजीव कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
250 / 2023	05 / 07 / 2023	07.02.2025

उनवान

1– हलीमन पत्नी श्री हन्नी खां
2– सलीमन पत्नी श्री खुर्शीद जाति मेव निवासीगण ग्राम बाघौर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) :–– वादीगण

बनाम

1– ईसब पुत्र श्री ईस्माईल
2– ऐमनजान
3– हबीब पुत्रान स्व0 श्री बिलन्दा
4– अकबरी
5– जैबुना
6– मैमुना पुत्रीयान स्व0 श्री बिलन्दा जाति मेव निवासीगण ग्राम बाघौर तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)
7– राज्य सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार साहब, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) :––प्रतिवादीगण

दावाइश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाईदवामी
अन्तर्गतधारा 88,89,188 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम, 1955

–:: पर्चा डिकी ::–

हाल आराजी खसरा नंबर 1210 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, 1212 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 1215 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, 1216 रकबा 0.1800 हैक्टेयर किता 4 कुल रकबा 0.7000 हैक्टेयर का 1/3 भाग वाके ग्राम बाघौर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा में प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को 1/3भाग पर समभाग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया।

07/04/2025

(संजीव कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)